निबंधित औकाफ के विकास हेतु विभिन्न जनोपयोगी संरचनाएँ यथा- बहुद्देशीय भवन, मुसाफिर खाना, विवाह भवन, वक्फ कार्यालय भवन, मार्केट कॉम्पलेक्स आदि के निर्माण एवं रख-रखाव संबंधी कार्य किया जाता है।

इस योजना के तहत अब तक कुल 05 (पाँच) वक्फ इस्टेट को विकसित किया गया है।

वर्ष 2020 से अबतक

- **'मुख्यमंत्री अत्यंत पिछड़ा वर्ग सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना'** के तहत अत्यंत पिछड़ा वर्ग के विद्यार्थियों को संघ लोक सेवा आयोग (यू0पी0एस0सी0) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर एक लाख रु0 और बिहार लोक सेवा आयोग (बी0पी0एस0सी0) की प्रारंभिक परीक्षा पास करने पर 50,000 रु0 प्रोत्साहन राषि के रुप में दिया जा रहा है। **इस योजना के तहत इस वर्ग के अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थियों को भी लाभान्वित किया जा रहा हैं।**
- वर्ष 2022 की बिहार लोक सेवा आयोग की 67वीं प्रारंभिक परीक्षा उत्तीण 190 अभ्यर्थियों को लाभान्वित किया गया है।
- **अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू बिहार के माध्यम से साक्षरता कार्यक्रम-** आजकल कम्प्यूटर साक्षरता रोज़गार प्राप्त करने के लिए आवश्यक हो गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू बिहार, जो कि एक गैर सरकारी संस्था है के द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 से कम्प्यूटर एवं टेली कोर्सेज के क्लास चलाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 5 जिलों में कम्प्यूटर लर्निंग कोर्स तथा उर्दू टाईपिंग का कोर्स कराया जा रहा है। उर्दू अनुवादक एवं सहायक उर्दू अनुवादक की परीक्षा की तैयारी के लिए में मुफ्त कोचिंग कराया गया है। इस कोचिंग से काफी संख्या में छात्र/छात्राएँ कामयाब हुए हैं। अंजुमन तरक्की उर्दू बिहार द्वारा मासिक साहित्यिक पत्रिका "रुह-ए-उद" का प्रकाशन आरम्भ किया गया। अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू बिहार के कार्यालय मे नेट (National Eligibility Test)/जे0आर0एफ0 (Junior Research Fellowship) का क्लास चलाया जा रहा है, जिससे कई छात्र छात्राएँ कामयाब हो कर रिसर्च के काम में लगे हुए हैं।
- **उर्दू के विकास हेतु** दो संस्थाओं यथा **बिहार उर्दू अकादमी एवं अंजुमन तरक्की - ए-उर्दू बिहार को विभाग** द्वारा सहायता अनुदान की राशि दी जा रही है। बिहार उर्दू अकादमी द्वारा राज्य स्तर पर 15 दिनों का उर्दू लर्निंग कोर्स चलाकर गैर उर्दू भाषियों को निः शुल्क उर्दू भाषा सिखाने का प्रोग्राम आयोजित करती है। अकादमी **"ज़बान-व-अदब"** के नाम से एक मासिक पत्रिका प्रकाशित करती है जो देश एवं विदेश में प्रसिद्ध है।
- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक उद्यमी योजना-** राज्य के अल्पसंख्यक वर्ग के युवाओं में उद्यमिता को बढ़ावा देने/इनके बीच स्वरोजगार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में यह योजना प्रारंभ की गयी है। राज्य के युवाओं द्वारा स्वरोजगार हेतु बैंकों से ऋण प्राप्त करने के लिए कोलेटरल सेक्यूरिटी (प्रतिभूति) एवं मार्जिन मनी की राषि नहीं रहने के कारण ऋण स्वीकृति में कठिनाई होती है। इसी को ध्यान में रखते हुए यह योजना प्रारंभ की गयी है। इस योजना के तहत उद्योग स्थापित करने हेतु कुल परियोजना लागत (अधिकतम 10 लाख) का 50 प्रतिशत अनुदान एवं शेष 50 प्रतिशत ब्याजमुक्त ऋण के रुप में उपलब्ध कराया जाता है।

इस योजना के तहत वर्ष 2023-24 में कुल 1,247 अल्पसंख्यक उद्यमियों को योजना का लाभ देने का लक्ष्य रखा गया है। इसके विरुद्ध 1056 लाभार्थियों का औपबंधिक रुप से चयन किया गया है।

अल्पसंख्यक समुदाय से जुड़े हुए कई पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया है जिसमें महत्वपूर्ण स्थल निम्नवत हैं-

- राज्य के अल्पसंख्यक समुदाय के महान विभूतियों के नाम पर यथा **मौलाना मजहरुल हक़, अब्दुल कय्यूम अंसारी एवं गुलाम सरवर भवन** का निर्माण कार्य कुल 13 करोड़ रु0 की लागत से पूर्ण कर उसे लोकार्पित किया गया है।
- बिहार के **सूफी संतों के कार्यस्थलों के विकास** हेतु सूफी परिपथ के तहत विभिन्न योजनाओं पर काम किया जा रहा है।
- **खानकाह मुजीबिया, फुलवारीशरीफ** का विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया गया है।
- पटना जिलान्तर्गत **खानकाह मुजीबिया**, मितन घाट, पटना सिटी के विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य प्रक्रियाधीन है।
- **बिहारशरीफ के खानकाह मुअज्जम, पुस्तकालय-सह-शोध संस्थान** तथा हुजरे का सौन्दर्यीकरण किया गया है।
- पटना जिलान्तर्गत खानकाह मनेरशरीफ में पर्यटकीय संरचनाओं का विकास एवं सौन्दर्यीकरण किया गया है।
- **मनेरशरीफ में अवस्थित बड़ी दरगाह** की भूमि पर चहारदीवारी, टॉयलेट, ब्लॉक स्थल का विकास कार्य किया गया है।
- मनेरशरीफ में पर्यटकीय सुविधाओं का विकास किया गया है।
- मनेरशरीफ में खानकाह आलिया में मुख्य द्वार के निर्माण तथा उसके विकास एवं सौन्दर्यीकरण का कार्य किया गया है।
- **जहानाबाद जिलान्तर्गत बीबी कमाल के मकबरा का** सौंदर्यीकरण एवं विकास कार्य किया गया है।
- **पश्चिमी चम्पारण जिलान्तर्गत सूफी शोध संस्थान, साठी** में पर्यटक आधारभूत संरचनाओं के निर्माण किया गया है।
- **नालंदा जिलान्तर्गत राजगीर स्थित मखदुम कुण्ड** के विकास एवं सौन्दर्यीकरण कार्य किया गया है।
- **बीथोशरीफ, गया** के विकास का कार्य किया गया है।

बिहार सरकार

एक ऐसा बिहार, जहाँ सबको समान अधिकार...

मुख्यमंत्री सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना

बिहार लोक सेवा आयोग, पटना द्वारा आयोजित संयुक्त प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे) के अभ्यर्थियों को आगे की तैयारी के लिए एकमुश्त ₹50,000/- (पचास हजार रुपये) तथा संघ लोक सेवा आयोग, नई दिल्ली द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रतियोगिता परीक्षा की प्रारम्भिक परीक्षा (PT) में उत्तीर्ण होने वाले अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग (इस योजना के तहत अल्पसंख्यक समाज के विद्यार्थी भी लाभान्वित हो सकेंगे) के अभ्यर्थियों को एकमुश्त ₹1,00,000/- (एक लाख रुपये) का लाभ दिया जायेगा।

मुख्यमंत्री छात्रावास अनुदान योजना

- अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को कॉट, मैट्रेस, चादर, पठन-पाठन हेतु टेबल-कुर्सी, खाना बनाने हेतु बर्तन एवं रसोईया इत्यादि की सुविधाएँ दी जा रही हैं।
- पूर्व में दी जा रही सुविधाओं के अतिरिक्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यंत पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक विभाग द्वारा संचालित छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को प्रति छात्र/छात्रा ₹1000/- (एक हजार रुपये) प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान का लाभ दिया जाएगा।

छात्रावास में मुफ्त खाद्यान्न योजना

- अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग, पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग तथा अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अंतर्गत संचालित छात्रावासों में आवासित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा एवं अल्पसंख्यक के छात्र/छात्राओं को 15 किलो मुफ्त खाद्यान्न (गेहूँ एवं चावल) दिया जायेगा।
- खाद्यान्न के क्रय, हथालन एवं परिवहन पर होने वाला व्यय राज्य सरकार वहन करेगी। छात्र/छात्राओं की रुचि को देखते हुए 15 किलो में से 9 किलो चावल एवं 6 किलों गेहूँ की आपूर्ति की जाएगी। बिहार राज्य खाद्य आपूर्ति निगम द्वारा खाद्यान्न की डोर स्टेप डिलीवरी सीधे छात्रावास में की जायेगी।

सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग, बिहार सरकार

Design & Printed by Shiva Enterprises, Patna # 9308286684

Nov. 2024

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग

बिहार सरकार

अल्पसंख्यक कल्याण विभाग
तथा
सूचना एवं जन-सम्पर्क विभाग
बिहार सरकार

बाल विवाह एवं दहेज से संबंधित सूचना टॉल फ्री नं. 181 पर दें।

बेटा-बेटी एक समान। दहेज-प्रथा करे सबका अपमान ।।

भ्रष्टाचार से संबंधित शिकायत 0612-2217048 पर करें।

अल्पसंख्यक कल्याण विकास

'न्याय के साथ विकास' के सिद्धांत पर आगे बढ़ते हुए समाज के सभी वर्गों को विकास की मुख्यधारा से जोड़ने हेतु राज्य सरकार प्रतिबद्ध है। माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने समाज के सभी वर्गों के लोगों की सेवा का संकल्प लिया है तथा समाज के हाशिए पर रह रहे लोगों को समाज की मुख्यधारा में लाने का निश्चय किया है। समाज के कमजोर, साधनहीन एवं वंचित वर्गों का विकास हो सकें तथा सभी लोगों के मन में सुरक्षा का भाव बनी रहें, यह राज्य सरकार का संकल्प है।

इसी सिद्धांत पर चलते हुए राज्य सरकार ने अल्पसंख्यक समुदाय, जो इस राज्य की आबादी का छठा हिस्सा है और काफी पिछड़ा हुआ है, के विकास के लिए काफी काम किया है। 2005 में सरकार के द्वारा कराये गए सर्वेक्षण में यह बात निकल कर सामने आई कि 12-15 प्रतिशत बच्चे ऐसे हैं जो विद्यालय से बाहर हैं और उनमे सबसे ज्यादा संख्या अल्पसंख्यक और महादलित समुदायों से हैं। सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक समुदाय के सर्वांगीण विकास और उनमे व्याप्त गरीबी को कम करने के उद्देश्य से उनमें शिक्षा, रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण तथा उद्यमशीलता को बढ़ावा देने हेतु अनेक योजनाएँ चलायी गयी हैं। इसके अलावा अल्पसंख्यक समुदायों में सामाजिक एवं सांस्कृतिक सुरक्षा का भाव कायम हो, सांप्रदायिक सद्भाव तथा सामाजिक सौहार्द्र का वातावरण बनाये रखने हेतु कई कल्याणकारी योजनाएँ लागू की गयी हैं।

राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के विकास हेतु दृढ़-प्रतिज्ञ है। इस बात का पता इससे भी चलता है कि अल्पसंख्यक कल्याण विभाग का कुल बजट, जो वित्तीय वर्ष 2004-05 में 3 करोड़ 53 लाख रुपये था, वह वित्तीय वर्ष 2023-24 में लगभग 198 गुणा बढ़कर 700.00 करोड़ (सात सौ करोड़) रुपये हो गया है।

अल्पसंख्यकों के कल्याण हेतु **बिहार राज्य उर्दू अकादमी, अंजुमन तरक्की-ए-उर्दू, बिहार राज्य हज समिति, बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड, बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग एवं बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम** आदि का गठन किया गया है जिनके माध्यम से अल्पसंख्यकों के कल्याणार्थ कार्य कराए जा रहे हैं।

सुशासन के कार्यक्रम के अंतर्गत साम्प्रदायिक सद्भाव और सामाजिक सौहार्द्र का वातावरण बनाए रखना, अल्पसंख्यकों की उचित भागीदारी, शिक्षा तथा रोजगारोन्मुखी प्रशिक्षण, मदरसा आधुनिकीकरण, उर्दू भाषा के विकास, कब्रिस्तान की घेराबंदी तथा अल्पसंख्यक संस्थाओं को सक्षम बनाने जैसे बिन्दु राज्य सरकार की प्राथमिकता में शामिल हैं।

अल्पसंख्यक समुदाय के लोगों के लिए किये गए कार्य

वर्ष 2005 से 2010

- **मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं हेतु सहायता योजना -** राज्य सरकार द्वारा अल्पसंख्यक मुस्लिम परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से वित्तीय सहायता प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनाने हेतु यह योजना वित्तीय वर्ष 2006-07 से संचालित है। वित्तीय वर्ष 2017-18 से राज्य सरकार द्वारा आर्थिक सहायता की राशि को 10,000 (दस हजार रुपये) से बढ़ाकर 25,000 (पच्चीस हजार) रुपये कर दिया गया है।

  वित्तीय वर्ष 2018-19 से ई-कल्याण पोर्टल द्वारा परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को PFMS के माध्यम से सीधे उनके बैंक खाते में राशि अंतरित की जा रही है। इस योजना के तहत अब तक कुल 15,049 (पंद्रह हजार उनचास) परित्यक्ता/तलाकशुदा महिलाओं को लाभान्वित किया गया है।

- **राज्य कोचिंग योजना** के तहत अल्पसंख्यक समुदाय के छात्र/छात्राओं को नौकरियों में प्रतिनिधित्व बढ़ाने हेतु वित्तीय वर्ष 2006-07 से इनके लिए संघ लोक सेवा आयोग, बिहार लोक सेवा आयोग, अन्य तकनीकी एवं व्यवसायिक प्रतियोगिता परीक्षाओं की निःशुल्क तैयारी हेतु कोचिंग योजना आरम्भ की गयी।
- इस योजना के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2022-23 में बिहार लोक सेवा आयोग (प्रारंभिक/मुख्य) परीक्षा, बिहार पुलिस अवर निरीक्षक की लिखित परीक्षा, CAT (Common Admission Test) /MAT (Management Aptitude Test)/ UGC NET (University Grants Commission National Eligibility Test)/JRF (Junior Research Fellowship) /CTET (Central Teacher Eligibility Test) /TET (Teacher Eligibility Test) परीक्षा की तैयारी हेतु कोचिंग कार्यक्रम की स्वीकृति प्रदान की गई है। वर्तमान में हज भवन के अतिरिक्त 02 जिलों यथा- पटना एवं दरभंगा में कोचिंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है । इस योजना के तहत अबतक कुल 13,289 छात्र-छात्राओं को इस योजना का लाभ दिया गया है।
- **मुख्यमंत्री विद्यार्थी प्रोत्साहन योजना -** वर्ष 2007-08 में इस योजना को प्रारंभ किया गया। इसके तहत प्रथम श्रेणी में मैट्रिक परीक्षा उत्तीर्ण करने वाले अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को 10,000 रु0 एवं द्वितीय श्रेणी से उत्तीर्ण होने पर छात्र-छात्राओं को 8,000 रु0 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। वर्ष 2014 से इसके तहत इंटर परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण मुस्लिम छात्राओं को 15,000 रु0 एवं द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 10,000 रु0 की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है। साथ ही वित्तीय वर्ष 2017-18 से बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड, पटना से मौलवी (इन्टर) में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण अल्पसंख्यक छात्राओं को 15,000 (पन्द्रह हजार रुपये) एवं फौकानिया (मैट्रिक) में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्र एवं छात्राओं को 10,000 (दस हजार रुपये) की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जा रही है।

  इस योजना के तहत वित्तीय वर्ष 2014-15 से अब तक कुल 8,16,646 (आठ लाख सोलह हजार छः सौ छियालिस) अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को लाभान्वित किया गया है।
- **अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण योजना -** ऐसा महसूस किया गया कि गाँव के बच्चे जिला मुख्यालय के शैक्षणिक संस्थानों में अगर पढना चाहते हैं तो उनको रहने की काफी समस्या होती है। आर्थिक स्थिति ऐसी नहीं है कि रहने का खर्चा उठा सके। इस परिप्रेक्ष्य में सरकार अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को जिला मुख्यालय स्थित शैक्षणिक संस्थानों का पूर्ण लाभ उठाने हेतु उनके रहने की उत्तम व्यवस्था प्रदान करना चाहती है। पूर्व भी अल्पसंख्यक छात्रावासों का निर्माण कराया जाता था परन्तु वर्ष 2005 के बाद निर्माण कार्य को बेहतर बनाया गया तथा भवन के साथ शौचालय, रसोई इत्यादि के निर्माण पर भी जोर दिया गया।

  इस योजना के तहत 84 अल्पसंख्यक छात्रावास निर्माण के लक्ष्य के विरुद्ध अब तक 49 छात्रावास निर्मित एवं संचालित हैं जिनमें 2,520 छात्र आवासित है तथा 4 छात्रावास निर्माणाधीन हैं। छात्रावास में छात्रों की सुविधा हेतु छात्रावास के रख-रखाव, फर्नीचर एवं आधुनिकीकरण मद में अलग से भी राशि आवंटित की जा रही है।
- प्रत्येक वर्ष राज्य से हज यात्रा पर जाने वाले हज यात्रियों की कठिनाईयों को देखते हुए हज भवन के निर्माण की योजना का पुनरिक्षित प्राक्कलन स्वीकृत किया गया। मूल प्राक्कलित राशि में लगभग दो गुणा वृद्धि कर भवन को अत्याधुनिक बनाने की व्यवस्था की गयी।
- **राज्य के सभी कब्रिस्तानों की घेराबंदी** की जिम्मेदारी जिलाधिकारी एवं पुलिस अधीक्षक को देकर गृह विभाग के माध्यम से कार्य कराने की व्यवस्था की गयी।

  कब्रिस्तानों की घेराबंदी के तहत प्राथमिकता सूची में चयनित 9273 कब्रिस्तानों में से 8361 कब्रिस्तानों की घेराबन्दी पूर्ण, 315 निर्माणाधीन एवं शेष 597 योजना प्रक्रियाधीन है।
- मदरसा शिक्षकों को ससमय भुगतान नहीं होने से उन्हें काफी कठिनाई होती थी। राज्य सरकार ने मदरसा शिक्षकों को पूरे वर्ष का वेतन आवंटन एक बार में किये जाने की व्यवस्था प्रारंभ की जिससे हर माह उन्हें समय पर वेतन मिल सके।
- वर्ष 1989 के भागलपुर दंगा के वैसे पीड़ितों को, जिन्हें उस समय न्याय नहीं मिल सका था, को न्याय दिलाने के लिए भागलपुर दंगा न्यायिक जांच आयोग का गठन किया गया। दंगा पीड़ित परिवारों को विभिन्न व्यावसायिक बैंकों से लिए गये ऋण से मुक्त कराया गया।
- बुनकरों को बिजली आपूर्ति में 1.50 रुपये प्रति इकाई की दर पर अनुदान देने की योजना लागू की गयी।
- बिहार राज्य अल्पसंख्यक आयोग का पुनर्गठन किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2007-08 में अल्पसंख्यक समुदाय के कॉलेजों में अध्ययनरत मेधावी एवं गरीब छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति देने हेतु योजना प्रारंभ की गयी।
- बिहार टेस्टबुक कॉरपोरेशन के द्वारा प्राथमिक विद्यालय की सभी हिन्दी किताबों को उर्दू में भी प्रकाशित किया गया।
- मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजनान्तर्गत पहली बार 2009 में प्रथम श्रेणी से प्रवेशिकोत्तीर्ण 4,011 अल्पसंख्यक छात्राओं को प्रति छात्रा 10 हजार रुपये की राशि दी गयी।
- **हुनर एवं औजार कार्यक्रम -** वित्तीय वर्ष 2008-09 से हुनर योजना चल रही है। अल्पसंख्यक समुदाय की हजारों लड़कियों को 'हुनर' कार्यक्रम के तहत अलग-अलग ट्रेडों के व्यावसायिक कौशलों में प्रशिक्षित किया गया है और 'औजार' कार्यक्रम के तहत उससे संबंधित टूल-किट हेतु 2500 रुपये की राशि भी दिए गए हैं, ताकि प्रशिक्षित लड़कियां अपने पैरों पर खड़ी हो सकें और उन्हें स्वरोजगार का अवसर मिल सके। बाद के वर्षों में मुस्लिम समुदाय के साथ-साथ अनु0 जाति, अनु0 जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग की बालिकाओं को भी इसके तहत शामिल किया गया। अभी तक कुल 1 लाख 20 हजार से भी ज्यादा महिलाएँ इस योजना के तहत लाभान्वित हुई हैं।

  वर्तमान में 'हुनर-V' के तहत 16 व्यवसायिक विषयों का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। बिहार कौशल विकास मिशन के द्वारा आवंटित 65 संस्थानों के द्वारा राज्य के 13 विभिन्न जिलों में कुल 955 शिक्षार्थियों को प्रशिक्षण दिया जा चुका है।
- वित्तीय वर्ष 2023-24 में बिहार मुक्त विद्यालयी शिक्षण एवं परीक्षा बोर्ड (BBOSE) द्वारा राज्य स्कीम अन्तर्गत डोमेन स्किलिंग कार्यक्रम के तहत हुनर-V को क्रियान्वित करने हेतु 5 करोड़ रुपये की स्वीकृति प्रदान की गयी है।
- अल्पसंख्यक समुदाय के वंचित वर्ग के बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा देने के लिए अल्पसंख्यक वंचित समुदाय के प्रत्येक गाँव/टोला में वर्ष 2008-09 में 'तालिमी मरकज योजना' प्रारंभ किया गया।
- **मुख्यमंत्री श्रमशक्ति योजना-** वर्ष 2008-09 से लागू इस योजना का उद्देश्य अल्पसंख्यक समुदाय के कामगारों/नव-युवकों को विशेष प्रशिक्षण दिलाकर स्वरोजगार एवं नियोजन का अवसर प्रदान करना है।
- इस योजना के तहत अब तक कुल 3,703 (तीन हजार सात सौ तीन) अल्पसंख्यक समुदायों के युवाओं को प्रशिक्षण दिया गया है।

वर्ष 2010 से 2015

- **अल्पसंख्यक छात्रावास हेतु मशीनरी एवं उपस्कर की योजना -** सुशासन के कार्यक्रम के तहत राज्य के सभी अल्पसंख्यक छात्रावासों को कम्प्यूटर, वाटर फिल्टर, इंटरनेट, फ्रीज, ध्वनि रहित जेनरेटर आदि आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित कराने की कार्य योजना वित्तीय वर्ष 2012-13 से प्रभावी है। साथ ही सभी जिलों में Out-door Game एवं जिम हेतु सामग्री छात्रावासों को उपलब्ध कराया जा रहा है। प्रत्येक छात्रावास में सम्पूर्ण सुविधायुक्त पुस्तकालय/अध्ययन कक्ष भी उपलब्ध है। इन छात्रावासों के प्रबंधन हेतु छात्रावास प्रबंधक के 37 पद सृजित किए गए हैं।
- **महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग अक्षर आँचल योजना -** इस योजना का आरंभ वर्ष 2012-13 में किया गया। इस योजना का उद्देश्य महादलित, दलित वर्ग के साथ-साथ अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग में साक्षरता (विशेषकर महिला साक्षरता) में उल्लेखनीय वृद्धि लाना और इन वर्ग एवं समुदाय के बच्चे को गुणात्मक प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। राज्य में 20,000 (बीस हजार) उत्थान केन्द्र टोला सेवक के माध्यम से तथा 10,000 (दस हजार) तालीमी मरकज शिक्षा सेवक के माध्यम से संचालित किये जा रहे हैं। शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) के मानदेय को सितम्बर, 2023 से 11,000 (ग्यारह हजार रुपये) प्रतिमाह से बढ़ाकर 22,000 (बाईस हजार रुपये) प्रतिमाह कर दिया गया है।

  शिक्षा सेवक/शिक्षा सेवक (तालीमी मरकज) द्वारा वर्ष 2022-23 में 6-14 वर्ष के 5,26,047 (पाँच लाख छब्बीस हजार सैंतालीस) बच्चों को साक्षर बनाने के साथ-साथ 9,65,542 (नौ लाख पैंसठ पाँच सौ बयालीस) महादलित, दलित एवं अल्पसंख्यक अतिपिछड़ा वर्ग की महिलाओं को साक्षर बनाया गया है।
- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना-** अल्पसंख्यक समुदाय के युवक/युवतियों को अपना व्यवसाय/रोजगार कर आत्मनिर्भर बनाये जाने के उद्देश्य से वित्तीय वर्ष 2012-13 से मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना प्रारंभ की गयी जिसके तहत अल्पसंख्यक समुदाय के बेरोजगार युवकों एवं युवतियों, जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 4 लाख रु0 से अधिक न हो, को बिहार राज्य अल्पसंख्यक वित्तीय निगम लि0 के माध्यम से 5 प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज दर पर स्वरोजगार के लिए अधिकतम 5 लाख रु0 तक ऋण राशि प्रदान करने का प्रावधान है। इसका उद्देश्य है कि अल्पसंख्यक अपना खुद का व्यवसाय कर आत्मनिर्भर बन सकें। वर्ष 2017-18 से इस योजना के लिए प्रति वर्ष 25 करोड़ रु0 के स्थान पर 100 करोड़ रु0 की राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है।

  इस योजना के तहत अब तक कुल 27,031 (सताईस हजार एक तीस) को लाभान्वित किया गया है।
- **वर्ष 2012-13 में मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक शिक्षा ऋण योजना** लागू की गयी। इसके तहत अल्पसंख्यक छात्र/छात्राओं को तकनीकी एवं उच्चतर शिक्षा प्राप्त करने के उद्देश्य से कम ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया।
- **अल्पसंख्यक कल्याण निदेशालय का गठन किया गया।**
- **मजहरुल हक अरबी एवं फारसी विश्वविद्यालय के लिए भूमि चिह्नित की गयी।**
- **जिलों में जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी के पद पर पहली बार 38 जिला अल्पसंख्यक कल्याण पदाधिकारी की नियुक्ति एवं पदस्थापन किया गया।**

वर्ष 2015 से 2020

- **राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना-** केन्द्र सरकार द्वारा संचालित पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत बिहार हेतु निर्धारित कोटे के अलावा भी बड़ी संख्या में अल्पसंख्यक छात्र-छात्राएं छात्रवृत्ति से वंचित रह जाते थे। अतः शेष छात्र-छात्राओं को लाभान्वित करने हेतु राज्य सरकार के द्वारा राज्य पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति योजना वर्ष 2017-18 से संचालित की जा रही है।

  इस योजना के तहत अब तक कुल 45,039 (पैंतालीस हजार उनचालीस) अल्पसंख्यक छात्र-छात्राओं को छात्रवृत्ति प्रदान की गयी है।
- **बिहार राज्य अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय योजना-** इस योजना के तहत प्रत्येक जिले में कम-से-कम एक अल्पसंख्यक आवासीय विद्यालय के निर्माण का निर्णय वर्ष 2018-19 में लिया गया है। 04 जिलों यथा- दरभंगा, किशनगंज, मधुबनी एवं पूर्णियाँ में एक-एक आवासीय विद्यालय की स्वीकृति प्रदान की गयी है। शेष जिलों में भूमि उपलब्ध कराने के दिशा में कार्य किया जा रहा है।
- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना-** राज्य सरकार द्वारा छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरूक करने एवं उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने के उद्देश्य से एवं छात्रावास संबंधी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक छात्रावास अनुदान योजना 2018 से लागू की गयी है।

  इस योजना के अन्तर्गत अल्पसंख्यक छात्रावासों में अध्ययनरत छात्र-छात्राओं को उनकी छात्रावास संबंधी दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु प्रति छात्र-छात्रा 1,000 रु0 प्रतिमाह की दर से छात्रावास अनुदान दिया जा रहा है। राशि सीधे छात्र-छात्राओं के खाते में हस्तान्तरित की जाती है।

  इस योजना के तहत अबतक 51,027 (इक्यावन हजार सताईस) छात्र-छात्राओं को 510.27 लाख रुपये की राशि का वितरण किया गया है।
- **मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास खाद्यान्न योजना -** अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास में अध्ययनरत/आवासित छात्र-छात्राओं को उच्च शिक्षा के प्रति जागरुक करने, उच्च शिक्षा दर में वृद्धि करने एवं पठनकार्य के वित्तीय बोझ को कम करने के उद्देश्य से Welfare Institution and Hostel Scheme के अन्तर्गत मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक कल्याण छात्रावास योजना की शुरुआत अगस्त, 2018 में की गई।

  इस योजना के अन्तर्गत छात्रावास में आवासित प्रत्येक छात्र-छात्रा को प्रतिमाह 09 किलोग्राम चावल एवं 06 किलोग्राम गेहूँ अर्थात् कुल 15 किलोग्राम खाद्यान्न निःशुल्क Door Step Delivery के माध्यम से उपलब्ध कराया जा रहा है।

  इस योजना के तहत अबतक अल्पसंख्यक छात्रावास में आवासित कुल 5195 छात्र-छात्राओं को प्रतिमाह 09 किलोग्राम चावल एवं 06 किलोग्राम गेहूँ अर्थात् कुल 15 किलोग्राम खाद्यान्न का निःशुल्क वितरण डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से किया गया है।
- **बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजना -** बिहार राज्य मदरसा शिक्षा बोर्ड से मान्यता प्राप्त मदरसों में शैक्षणिक सुधार हेतु राज्य निधि से मूलभूत सुविधाओं एवं आधारभूत संरचना यथा अतिरिक्त वर्ग कक्ष, कार्यालय कक्ष, बहुउद्देशीय हॉल, कम्प्यूटर/विज्ञान लैब, पुस्तकालय, पेयजल, शौचालय, सौर ऊर्जा संयंत्र, शैक्षणिक शोध आदि क्रियाकलाप के साथ-साथ आधुनिकीकरण संबधी कार्य बिहार राज्य मदरसा सुदृढ़ीकरण योजनान्तर्गत किया जाता है। योजना का प्रारंभ वर्ष 2018-19 में हुआ है। इस योजना के तहत अब तक कुल 19 मदरसों का सुदृढ़ीकरण किया गया है।
- **बिहार राज्य वक्फ विकास योजना -** वक्फ बोर्ड के पास बड़ी संख्या में जमीन है जिसका सदुपयोग कोचिंग संस्थान, लाइब्रेरी, ऑडिटोरियम, व्यावसायिक उद्देश्यों से किया जा सकता है। इन परिसम्पतियों का अगर उचित विकास हो, उसी प्रांगन में उनका कार्यालय भी हो तो, अलग से परिसंपत्तियों की सुरक्षा हेतु कोई प्रबंध नहीं करना पड़ेगा। इसी उद्देश्य से बिहार राज्य सुन्नी वक्फ बोर्ड एवं बिहार राज्य शिया वक्फ बोर्ड के अन्तर्गत निबंधित औकाफ की संपत्ति के विकास हेतु बिहार राज्य वक्फ विकास योजना वर्ष 2018-19 से लागू है। इस योजना के तहत इन बोर्डों से